

124/3-5087

18.09.2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--

18.09.2025

विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण खरताराम, पूनाराम, प्रताप, कनाराम, लखमा, डूंगाराम, मिकाराम बर मय अधिवक्ता श्री हर्षवर्धनसिंह राठौड़ उपस्थित।

गवाह पी.डब्ल्यू 20 प्रेमराज के बयान लेखबद्ध किए गए, अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं। गवाह संख्या 22 जयपाल सिंह राठौड़, एसडीएम का जमानती वारण्ट इस रिपोर्ट के साथ अदम तामील लौटा है कि "उनका स्थानान्तरण कुम्भलगढ़ से जोधपुर होने से समयभाव के कारण व कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने से" उक्त गवाह को जरिए टेलीफोन व व्हाट्सअप सूचित किया गया। अतः उक्त गवाह संख्या 19 व 22 को पुनः जरिए जमानती वारण्ट 2000/- तलब किए जावे। चूंकि यह प्रकरण राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लक्षित प्रकरणों की सूची क्रमांक 26 पर लम्बित है। तामील आवश्यक रूप से विशेष वाहक द्वारा करवाने का नोट अंकित किया जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 06.10.2025 को पेश हो

विशिष्ट न्यायाधीश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जन जाति (अ.नि.) प्रकरण

06.10.25

राजसमन्द

Spl. P. P. उपस्थित

कमिश्नर खरताराम, प्रताप, कनाराम, डूंगाराम

पूनाराम, मिकाराम, लखमा, डूंगाराम, पूनाराम

बर मय जमानत मय अधिवक्ता श्री मिकाराम

विशेष निरीक्षक राठौड़ उपस्थित

गवाहों के उपस्थित

तामील के उक्त लौटा

गवाह सं. 19, 22, 23, 24, को

जरिए B/W 2000/- तलब किए

जावे

विशिष्ट न्यायाधीश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जन जाति (अ.नि.) प्रकरण

खरताराम

प्रताप

कनाराम

डूंगाराम

पूनाराम

मिकाराम

लखमा

खरताराम

प्रताप

कनाराम

डूंगाराम

पूनाराम

मिकाराम

लखमा

जारी

तारीख हुयम	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम अहम की ता
	५४२०/ वास्ती प कार्ड प्रोजेक्ट के तहत लक्षित, डकरो की सूची के क्रमांक २६ पर लागू है। तारीख ३० letter ४ साथ SP राजसमंद को भेजी जावे। पश्चात्त वास्ते साथ देवी दि २७-१०-२५ को भेज हो। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अ.नि.) प्रकरण राजसमंद	